"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2009—पौष 26, शक 1930

भाग 4

भाग 4 (क)—निरंक

भाग 4 (ख)—निरंक

भाग 4 (ग)—निरंक

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399] रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2008—पौष 1, शक 1930

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-08/2008/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची तीन के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (5) में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अन्य मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत या कार्य करने के अनुभव प्राप्त चिकित्सा शिक्षकों को, कॉलम (4) में उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में, एक बार के लिए, पांच वर्ष की छूट प्राप्त होगी. तत्पश्चात् यह प्रावधान समाप्त हो जावेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

क्रमांक एफ 3-08/2008/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-12-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, सचिव.

Raipur, the 22nd December 2008

NOTIFICATION

No. F 3-08/2008/IX/55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendments to the Chhattisgarh Medical Education (Gezetted) Service Recruitment Rules, 1987, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

In column (5) of Serial No. 2 of Schedule III, following entries shall be inserted, namely :—

"Medical Teachers working or having experience of working in the Government, Semi-Government and other recognized Medical Colleges shall get one time relaxation in maximum age limit, mentioned in column (4) upto five years. Thereafter this provision shall stand lapsed."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GANESH SHANKAR MISHRA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399-अ-1] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2008—पौष 2, शक 1930

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2008

आदेश

क्रमांक एफ. 3-16/2008/1/एक.— छत्तीसगढ़ विधान सभा के निम्नानुसार विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया जाता है :-

1. डॉ. सियाराम साहू
2. श्री कोमल जंघेल
3. श्री भैयालाल राजवाड़े
4. श्री भरत साय
5. श्री ओमप्रकाश राठिया
6. श्री विजय बघेल
7. श्री सिद्धनाथ पैकरा
8. श्री महेश गागड़ा
9. श्री युद्धवीर सिंह जूदेव

हस्ता./-
डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2008

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 3-16/2008/1/एक.—— छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त निम्नलिखित संसदीय सचिवों ने आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 को अपरान्ह में पद तथा गोपनीयता की शपथ ली और अपने पद ग्रहण किये :-

1. डॉ. सियाराम साहू
2. श्री कोमल जंघेल
3. श्री भैयालाल राजवाड़े
4. श्री भरत साय
5. श्री ओमप्रकाश राठिया
6. श्री विजय बघेल
7. श्री सिद्धनाथ पैकरा
8. श्री महेश गागड़ा
9. श्री युद्धवीर सिंह जूदेव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2008

आदेश

क्रमांक एफ. 3-16/2008/1/एक.—— छत्तीसगढ़ विधान सभा के निम्नानुसार विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करते हुए उनके नाम के सामने अंकित मान. मंत्रियों के साथ सम्बद्ध किया जाता है :-

स. क्र. (1)	संसदीय सचिव का नाम (2)	मान. मंत्री जिसके साथ सम्बद्ध किया गया है (3)
1.	डॉ. सियाराम साहू	डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, ऊर्जा, खनिज साधन, जनसंपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी, विमानन, वाणिज्य एवं उद्योग.
2.	श्री कोमल जंघेल	डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, ऊर्जा, खनिज साधन, जनसंपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी, विमानन, वाणिज्य एवं उद्योग.

(1)	(2)	(3)
3.	श्री भैयालाल राजवाड़े	श्री रामविचार नेताम, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विधि और विधायी कार्य.
4.	श्री भरत साय	श्री विक्रम उसेण्डी, मंत्री वन, सार्वजनिक उपक्रम, जन शिकायत निवारण.
5.	श्री ओमप्रकाश राठिया	श्री हेमचन्द यादव, मंत्री, जल संसाधन, आयाकट, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी.
6.	श्री विजय बघेल	श्री ननकीराम कंवर, मंत्री, गृह, जेल, सहकारिता.
7.	श्री सिद्धनाथ पैकरा	श्री अमर अग्रवाल, मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास.
8.	श्री महेश गागड़ा	श्री केदार कश्यप, मंत्री, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.
9.	श्री युद्धवीर सिंह जूदेव	श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति, संसदीय कार्य, पर्यटन.

हस्ता./-
डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.